



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 82-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 15, 2018 (VAISAKHA 25, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 15 मई, 2018

संख्या 53/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जिन्होंने प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा प्रस्तुत कर दी थी, किन्तु 27 दिसम्बर, 2017 को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल पर दायर नहीं की थी, के लिए, अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 तक के प्रत्येक मास के लिए नियत तिथि तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतानयोग्य विलंब फीस का, अधित्यजन करते हैं:

परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 10 मई, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा दायर की गई है और 31 मई, 2018 को या उससे पूर्व, ऐसे प्रत्येक महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी दायर करेंगे।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 15th May, 2018

No. 53/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under Section 47 of the said Act for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** by the due date for each of the months from October, 2017 to April, 2018, for the class of registered persons whose declaration in **FORM GST TRAN-1** was submitted but not filed on the common portal on or before the 27th day of December, 2017:

Provided that such registered persons have filed the declaration in **FORM GST TRAN-1** on or before the 10th day of May, 2018 and the return in **FORM GSTR-3B** for each of such months, on or before the 31st day of May, 2018.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.